मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सितम्बर 2007

क्रमांक सी-6-2/2007/3/एक

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों से जांच कराये जाने के संबंध में मानदेय

संदर्भ.—सा. प्र. वि. का ज्ञाप क्र. सी-6-9/99/3/1, दिनांक 2-7-99.

शासन के अधीन विभागों में विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुये संदर्भित ज्ञाप द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का पैनल बनाया जाना तथा उसमें से योग्य व्यक्तियों को जांचकर्ता अधिकारी निश्चित मानदेय पर नियुक्त किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे ताकि विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार एक वर्ष की समयावधि में किया जा सके. जांच प्रकरण अधिक समय तक लंबित रहना न तो शासन के हित में है और न ही शासकीय सेवक के हित में है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बार-बार इस संबंध में निर्देश जारी किये जाते रहे हैं साथ ही विभागीय जांच के प्रत्येक चरण में लगने वाले अधिकतम समयावधि की एक समय सारणी भी जारी की गयी थी जो पुन: संलग्न की जा रही है.

2. विभागीय जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को मानदेय प्रदान करने की अधिकतम सीमा अब निम्नानुसार होगी :—

(1) प्रथम श्रेणी अधिकारी की विभागीय जांच के लिये—
रुपये 1000/- के स्थान पर रुपये 2000/- प्रति प्रकरण.

(2) द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालन) अधिकारी की जांच के लिये—
रुपये 750/- के स्थान पर रुपये 1500/- प्रति प्रकरण.

(3) तृतीय श्रेणी (अकार्यपालन) एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक की जांच—
रुपये 500/- के स्थान पर रुपये 1000/- प्रति प्रकरण.

3. मानदेय में उपर्युक्तानुसार संशोधन वित्त विभाग के क्र. 1573/07/नि/चार, टीप दिनांक 21-8-2007 द्वारा अनुमोदित है. कृपया उपरोक्त संशोधित मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवायें प्राप्त कर विभागीय जांच के प्रकरणों में संलग्न समय सारणी के अनुसार एक वर्ष की समयावधि में समस्त प्रक्रिया पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

सितम्बर 2007

पृ. क्रमांक सी-6-2/2007/3-एक

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
3. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, म. प्र. विधानसभा, सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र.भोपाल.
10. सचिव, म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, म. प्र., ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा. प्र. वि., मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र., मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(मो. जफर कुरैशी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

विभागीय जांच की विभिन्न प्रावस्थायें एवं उनके लिए निर्धारित समयावधि की सारणी

1	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती पर विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाना.	प्रकरण प्रस्तुति से एक सप्ताह.
2	आरोप-पत्रादि जारी किया जाना.	अधिकतम एक माह
3.	अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर विहित समयावधि में प्राप्त करना (यह अवधि आरोप पत्र प्राप्त होने की तिथि से कम से कम सात दिन पश्चात् की होगी).	सात दिन से एक माह
4	अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति.	सात दिन से एक माह
5.	जांच प्राधिकारी द्वारा जांच करना एवं जांच प्रतिवेदन भेजना :—	
	(अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—	अधिकतम छः माह
	(ब) लघु शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—	अधिकतम तीन माह
6.	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण एवं अनंतिम (प्रस्तावित) या अंतिम शास्ति (लघु शास्ति पारित करने की स्थिति में) पारित करने का निर्णय लेना—	
	(अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—	अधिकतम 3 सप्ताह
	(ब) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—	अधिकतम 2 सप्ताह
7.	आयोग की मंत्रणा (मंत्रणा में लगने वाले समय को छोड़कर) जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद मुख्य शास्ति अधिरोपित करने के लिये अंतिम आदेश पारित करना.	अधिकतम 2 सप्ताह